

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

पीठासीन अधिकारी डॉ. विश्वासिध जीवा R.A.S.
 उनवान कांवर सिटी बनाम कारिदास

दावा बाबत:- रु. 89 रु. का माला शर्त
 मुकदमा नम्बर:- 140/18
 निर्णय दिनांक:- 15.6.2018

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से
 की उपस्थिति में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम
 निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -

इस पक्ष विरुद्ध किया जाता है कि आदेशी कलक्टर ने 205/0.14 रु., 164/1.68,
 17/0.95, 106/0.70, 110/0.39, 122/0.45, 159/0.70, 180/0.35, 109/0.01, 121/0.25,
 172/0.48, 278/0.89, 324/1.52, 321/1.37, 394/0.43, 404/2.23, 428/330/0.95
 434/393/1.72, 470/474/0.90, 672/476/1.08, 80 रु. के शायम राजपुर से प्रतिवादी
 के 3/8 भाग से वादीगण को 1/5, 1/5 भाग व 42/0.24, 43/0.42, 162/0.09
 267/0.23, 248/0.15, 272/0.11, 273/0.13, 319/5.68, 377/0.34, 380/3.17, 375/1.21
 378/0.06, 379/0.04 रु. के शायम राजपुर से प्रतिवादी को 1/4 हिस्से में से वादीगण
 खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह आज तारीख 15.6.2018 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

को 1/5, 1/5 भाग का शायम राजपुर वादीगण को दे दिया गया है वही शायम राजपुर
 हिस्से में 3/8 भाग दे दिया है।

डॉ. विश्वासिध जीवा R.A.S.
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4.रूपये पर प्लीडर के फीस		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
5. साक्षियों को लिए निर्वाह - व्यय		अर्जी के लिए स्टाम्प
6. कमिश्नर की फीस		प्लीडर के फीस
7. आदेशिका की तामिल		साक्षियों को लिए निर्वाह - व्यय
		आदेशिका की तामिल
		कमिश्नर की फीस
जोड़		जोड़